



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 05-05-2026

जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए बागपत पुलिस द्वारा कुल 10 असामाजिक तत्वों को 06 माह के लिए जिलाबंदर किया गया तथा 04 शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई।

थाना वार जिलाबंदर किये गए असामाजिक तत्व-

क्रमांक	थाना	असामाजिक तत्वों का नाम पता
01	बागपत	रोहित पुत्र मांगे राम नि0 सुभाष गेट पुराना कस्बा व थाना बागपत, जनपद बागपत।
02	बागपत	सावेज पुत्र चांद अली नि0 खुब्बीपुर निवाडा थाना व जनपद बागपत।
03	बागपत	आकाश पुत्र तेजी उर्फ तेजा नि0 बाघू थाना व जनपद बागपत।
04	बिनौली	सलमान पुत्र बालू नि0 बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।
05	दोघट	नितिन पुत्र कालूराम नि0 गांव बामनौली थाना दोघट, जनपद बागपत।
06	दोघट	साहिल पुत्र यामीन नि0 पलडा, थाना दोघट, जनपद बागपत।
07	छपरौली	सचिन पुत्र प्रेमपाल नि0 शबगा, थाना छपरौली जनपद बागपत।

08	रमाला	आस मोहम्मद पुत्र शाबिर नि0 असारा, थाना रमाला, जनपद बागपत।
09	बालैनी	दीपक पुत्र रामवीर नि0 पुरामहादेव, थाना बालैनी, जनपद बागपत।
10	बालैनी	गौतम उर्फ गौता पुत्र धनपाल नि0 गांव मवीकला थाना बालैनी, जनपद बागपत।

### शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही का विवरण

क्रमांक	थाना	नाम पता
1.	बागपत	सुल्तान पुत्र जयपाल निवासी सिसाना थाना व जनपद बागपत।
2.	चांदीनगर	अजय पुत्र जयकरण नि0 मेरठ रोड बागपत, स्थायी पता गांव ठिकोली थाना चांदीनगर।
3.	खेकडा	रोहन सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह नि0 जैन कॉलेज रोड कस्बा व थाना खेकडा।
4.	दोघट	इस्लामू पुत्र सुबराती नि0 मिलाना थाना दोघट, जनपद बागपत।



प्रेस नोट थाना दोघट

जनपद बागपत

दिनांक 05.05.2026

थाना दोघट में दाखिल 02 मुकदमाती वाहन व 04 लावारिस वाहन कुल 06 वाहनों (कुल कीमत 01 लाख 12 हजार 500 रुपये) की नीलामी के सम्बन्ध में-

### कार्यवाही-

दिनांक 05.05.2026 को माननीय न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना दोघट पर दाखिल 02 मुकदमाती वाहन व 04 लावारिस वाहनों कुल 06 वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार बडौत, थानाध्यक्ष थाना दोघट की उपस्थिति में की गई।

उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के

कबाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 02 मुकदमाती वाहन व 04 लावारिस वाहन कुल 06 वाहनों (कुल कीमत 01 लाख 12 हजार 500 रुपये) की नीलामी की गई।





प्रेस नोट  
थाना दोघट

दिनांक 05.05.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 132/2026 धारा 74/352 बीएनएस व 9(m)/10 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

दोघट पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के 0अ0सं0 132/2026 धारा 74/352 बीएनएस व 9(m)/10 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- अंश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना दोघट ।
- 2-उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना दोघट ।
- 3-रि0का0 234 अभिषेक मिश्रा थाना दोघट ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 05.05.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 134/2026 धारा 109(1)352/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.05.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री राहुल पुत्र राजकुमार निवासी रोहटा थाना रोहटा जनपद मेरठ हाल निवासी ग्राम आदमपुर थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.शिवम पुत्र काला, 2.काला पुत्र नामालूम व 3.मोनू पुत्र कवरपाल द्वारा वादी के मामा के साथ गाली-गलौच करना, शोर शराबा सुनकर वादी घर के बाहर आया तो



अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ भी गाली-गलौच करना तथा अभियुक्तगण मोनू व काला उपरोक्त द्वारा एक राय होकर अभियुक्त शिवम उपरोक्त से गोली मारने के लिये कहना तथा अभियुक्त शिवम उपरोक्त द्वारा पिस्टल निकालकर जान से मारने की नियत से वादी पर फायर करना, जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया । अभियुक्त शिवम उपरोक्त फायर करते हुये अपनी बाइक Apache UP17AC 0733 मौके पर ही छोड कर भाग जाना तथा अभियुक्तगण मोनू व काला उपरोक्त भी मौके से भाग जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 109(1)352/3(5) बीएनएस पंजिकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

दोघट पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 134/2026 धारा 109(1)352/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।


### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मितेन्द्र उर्फ काला पुत्र सुखबीर सिंह निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 53 वर्ष

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट।

2-का0 951 पीताम्बर थाना दोघट।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 05.05.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 73/26 धारा 137(2),142,65(1),87,127(2),352 बीएनएस व धारा 3/4(2), 16/17 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 महिला अभियुक्ता सहित अन्य एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.04.2026 को थाना रमाला पर वादी श्री फैय्याज पुत्र मजीद गाँव किरठल थाना रमाला जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष व वादी का बेटा उम्र 5



माह कहीं चले गये है। जो काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिले है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 73/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

**नोट:-** उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आया कि वादी की पुत्री उम्र 14 वर्ष अपने माता-पिता के साथ झगडाकर गुरसे में आकर अपने छोटे भाई सोफियान उम्र 05 माह को साथ लेकर अलवर स्टेशन पर चली गयी थी । जहां पर उसको सचिन पुत्र प्रेमपाल, सतेन्द्र पुत्र प्रेमपाल तथा सतेन्द्र की पत्नी निवासीगण ग्राम धुबिया थाना विजयगढ जनपद अलीगढ मिले । सचिन तथा सतेन्द्र की पत्नी दोनो के द्वारा वादी की लडकी को सचिन के साथ चले जाने तथा दूसरे बच्चे सोफियान को

सतेन्द्र की पत्नी के द्वारा पालने के लिए अपने कब्जे में ले लिया, जिसके उपरान्त सचिन द्वारा वादी की पुत्री के साथ मन्दिर में शादी कर ली एवं उसके साथ पति पत्नी की तरह शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये। सतेन्द्र की पत्नी ने सचिन द्वारा कारित किये गये इस कृत्य में पूर्ण सहयोग व दुष्प्रेरण किया गया है जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 142,65(1),87,127(2),352 बीएनएस धारा 3/4(2),16/17 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।

### कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 73/26 धारा 137(2),142,65(1),87,127(2),352 बीएनएस धारा 3/4(2), 16/17 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 महिला अभियुक्ता सहित अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-सचिन पुत्र प्रेमपाल उर्फ पप्पू सिंह निवासी ग्राम धुबिया थाना अकराबाद जनपद अलीगढ, हाल पता आदर्श कालोनी बंसल वाली गली थाना कैम्प जनपद पलवल हरियाणा
- 2- एक महिला ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 सन्नवर अली थाना रमाला बागपत ।
- 2-है0का0 807 सचिन कुमार थाना रमाला बागपत ।
- 3-हो0गा0 581 सुभाष थाना रमाला बागपत ।
- 4-म0रि0का0 665 स्वाती थाना रमाला बागपत ।